Regarding need to enact law to curb forced religious conversion in the country-Laid

डॉ. मन्ना लाल रावत **(उदयपुर) :** आज देश के अनेक भागों में सुनियोजित रूप से उद्योग चलाकर अवैध धर्मांतरण की गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, जो न केवल राष्ट्रीय ताने-बाने को तोड़ने का कृत्य हैं, अपितु यह राष्ट्रांतरण की सुविचारित अराष्ट्रीय रचना भी कहलाती है । यह भारत की मूल सांस्कृतिक पहचान के लिए कल्चरल जेनोसाइड है । यह अवैधानिक कृत्य, धर्मनिरपेक्ष भावना की आड़ में राष्ट्रविरोधी एजेंडे बनता जा रहा है । वर्तमान में 12 राज्यों में कानून हैं परन्तु कमजोर है, साथ ही 16 राज्यों में अभी तक इस विषय में कोई कानून नहीं है । कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से इस गंभीर विषय पर उदासीन बने हुए हैं । अवैध धर्मांतरण केवल अस्मिता ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है । इसमें कट्टरपंथी, एवांजलिकल व ग्लोबल आतंकी नेटवर्क की सुनियोजित आपराधिक संलिप्तता भी पाई जा रही है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर चिंता का विषय है । अतः सरकार से आग्रह है कि एक राष्ट्र, एक कानून की दृष्टि से अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने हेतु एक सख्त केंद्रीय कानून संसद में लाया जाए, ताकि इस राष्ट्रीय चुनौती का समाधान एकीकृत रूप में हो सके । यह भारत की सकल आम जनता की अनुभूति का रुदनात्मक आह्वान है ।